अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), शिवगंज

बइजलास भागीरथ राम, आर0ए0एस0

वादी

1.सांकलाराम पुत्र कपूराजी
2.पुखराज पुत्र कपूराजी
3.बाबूलाल पुत्र कपूराजी
4.शंकरलाल पुत्र कपूराजी
जातियान माली निवासीयान–पोसालिया
तहसील शिवगंज
वादी अधिवक्ता श्री सुरेश खण्डेलवाल

बनाम

प्रतिवादीगण

स्वर्गीय चेलाराम पुत्र गलबा के वारिसदार
1. सोनाराम पुत्र चेलाराम
2. कैलाश पुत्र चेलाराम
3. नाजू पुत्री चेलाराम (धर्मपत्नी श्री प्रकाश पुत्र नवाजी) निवासी पोसालिया हाल नि0 छावणी शिवगंज

4.कनका पुत्री चेलाराम (धर्मपत्नी हिरालाल पुत्र हंसाजी भाटी) हाल निवासी खिवांदी तह0 सुमेरपुर जिला पाली
5.दाकू पुत्री चेलाराम (धर्मपत्नी मोहनलाल पुत्र ईदाजी) हाल नि0 बिठुडा तह0 शिवगंज
6.संतोष पुत्री चेलाराम (धर्मपत्नी लक्ष्मण पुत्र रूपाजी) नि0 हाल सुमेरपुर जिला पाली
7.टीना पुत्री चेलारामजी उम्र नाबा0 नि0 पोसालिया
8.रिंकु पुत्री चेलाराम जी उम्र नाबा0 नि0 पोसालिया
नाबालिग टीना, रिंकु के जरिये कुदरती भाई सोनाराम पुत्र चेलाजी धांची नि0 पोसालिया तह0 शिवगंज
प्रतिवादीगण अधिवक्ता एक पक्षीय

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्यां– 35/2018

: निर्णय :

दिनांक 03.03.2022

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता सहायक कलक्टर (एस0डी0ओ0) शिवगंज के न्यायालय में पेश होने पर दिनांक 20.03.2018 को दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। उक्त प्रकरण कें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

वादीगण का निवेदन है कि उनकी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा पोसालिया पटवार क्षेत्र पोसालिया तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 69 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा किस्म ब.1 एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 61 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि के बीचों बीच खसरा नं0 67 कदीमी सार्वजनिक रास्ता की भूमि है। प्रतिवादी सं0 ... देखकर वादीगण की गैर जानकारी में धीरे धीरे खडाई कर रास्ते की भूमि खसरा ... 67 पर अतिचार कर रास्ता बंद कर दिया है। एवं हमारी खातेदारी ... तौर पर कब्जा कर लिया है। वादीगण लगातार प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 ... रास्ते की भूमि एवं खातेदारी भूमि पर से अवैध कब्जा हटानें हेतु कहने के बावजूद भी प्रतिवादी सं0 01 व 02 कोई ध्यान ... रहे है। ओर न ही अवैध कब्जा छोड रहे है। वादीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का ... करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार शिवगंज को पेश किया जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने आदेश कमांक स्पे./06 दिनांक 12.07.2006 को पटवारी हल्का पोसालिया को सीमाज्ञान का आदेश जारी किया था जिस पर उक्त आदेश की पालना में पटवारी पोसालिया दिनांक 16.07.2006 को मौके पर आये मौके पर आर आई पोसालिया, सरपंच जोगापुरा, अन्य मौतबिरान एवं पास पडौस के खातेदारान के रूबरू मौजा पोसालिया के रास्ते के खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:13 IST
Reason: SelfAttested

67 का नाम एवं खसरा सं0 61,62,63,69 एवं 60 के खातेदारान यानि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौजूदगी में रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान बताया एवं मौका फर्द तैयार कर पढकर सुनाई मौका फर्द के अनुसार खसरा सं0 67 रास्ते की भूमि पर खसरा सं0 61 के खातेदार प्रतिवादीगण चेला, गलबा एवं खसरा सं0 62 के खातेदार हेमा वल्द सरूपा घांची निवासी पोसालिया का अवैध कब्जा बताया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा समझाईश की मगर वह नहीं माने कि तुम्हारा जो हो वो करलो कब्जा नहीं छोडेंगें। जिस पर वादीगण ने एक प्रार्थना दिनांक 07.01.2018 को विवादग्रस्त रास्ते की भूमि पर खडे दरख्त को नहीं काटने बाबत एवं पुनः एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान करवाने हेतु दिनांक 09.01.2018 को तहसीलदार शिवगंज को प्रस्तुत किया। तहसीलदार के आदेशानुसार हल्का पटवारी ने दोनों पक्षों के साथ खसरा सं0 67 रास्ते की भूमि का मौका देखा तथा मौका फर्द तैयार की, कि पूर्व में दिनांक 13.07.2006 को सीमाज्ञान की जानकारी लिखित रूप से मौका फर्द में बताई गई है। वर्तमान में फसल खडी होने से सीमाज्ञान नहीं हो सकता। साथ ही सोनाराम पुत्र चेलाजी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर खडे पेडों की टहनियां कटवाई जा रही है। पटवारी जी सोनाराम पुत्र चेलाजी को पाबंद किया कि विवादित भूमि का जब तक सीमाज्ञान नहीं हो पेडों की टहनियां नहीं काटेंगें।

विवादित खसरा सं0 67 किस्म भूमि रास्ता की भूमि पर पडौसी खातेदार सोनाराम पुत्र चेलाजी घांची एवं हेमा पुत्र सरूपाजी घांची ने अतिचार कर रास्ता बदं कर दिया है। जिससे वर्तमान में रास्ता वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा सं0 69 व 70 की भूमि में से निकलता है।

खसरा सं0 67 की किस्म भूमि रास्ता में महानरेगा कार्य ग्रेवल सडक कार्य पोसालिया से जोगापुरा तक निर्माण करवाने हेतु स्वीकृति जारी हो चुकी थी। वादीगण की शिकायत पर कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी महानरेगा पंचा0 समिति शिवगंज ने अपने पत्र क्रमांक 123—127 दिनांक 06.01.2017 को ग्राम पंचायत पोसालिया को रास्ता की जांच नहीं होने तक अग्रिम आदेश तक उक्त कार्य का स्थगन किया जाने के आदेश जारी किये गये है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को मौका फर्द दिनांक 13.06.2006 के अनुसार प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर किये गये अवैध कब्जे की भूमि एवं रास्ते की भूमि पर से अवैध कब्जा छोडने हेतु बार—बार निवेदन किया परन्तु वह कब्जा छोडने के लिये तैयार नहीं हुए जिससे यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 183 राज0 काश्त0 अधि0 के तहत वाद प्रस्तुत करना पडा है।

अतः वादीगण का निवेदन है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित करना फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हुए। दिनाक 16.05.2018 को प्रतिवादीगण सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6 उपस्थित व प्रतिवादी सं0 7 व 8 नाबालिग होने से उनके सम्मन कुदरती वली सोनाराम ने प्राप्त कर हस्ताक्षर किये व होकर जवाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा जो दिया गया। समय दिये जाने के बावजूद भी दिनांक 11.07.2019 को प्रतिवादीगण सं0 01 ता 8 अनुपस्थित न ही इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 01.08.2019 को प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। दिनांक 07.08.2019 को वकील वादी/वादीगण उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज [illegible]।

दिनांक 03.02.2021 को वादीगण सं0 3 व 4 [illegible] वकील सुरेशकुमार खण्डेलवाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 [illegible] का पेश किया जिसे स्वीकार कर वाद को पुनः नंबर लिया गया। दिनांक [illegible] 2021 को वादी अधिवक्ता ने साक्ष्य वादी हेतु वादीगण को उपस्थित कर साक्ष्य शपथ पत्र [illegible] किये। दिनांक 24.02.2022 को वकील वादी ने वादीगण 1 ता 4 को उपस्थित होकर वादी साक्ष्य के शपथ पत्र तस्दीक कर प्रदर्श 1 ता 12 का सत्यापन करवाया गया तथा बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, शिवगंज (राजस्थान)

अतः प्रतिवादीगण एक लगाय 8 के विरूद्व प्रकरण मे एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकी कायमी नही होकर वाद पत्र मे वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष एंव दिनाक 24.2.2022 को मुख्य परीक्षा हेतु पेश शपथ पत्र के क्रम मे वादी उपस्थित की वादी साक्ष्य करवाई गई। दावे के साथ संलग्न जमाबन्दी प्रदर्श–1, राजस्व नक्शा प्रदर्श–2, जमाबंदी प्रदर्श–3, खसरा गिरदावरी–प्रदर्श –4, जमाबंदी प्रदर्श–5, खसरा गिरदावरी प्रदर्श–6, महानरेगा कार्यक्रम अधिकारी का पत्र प्रदर्श–7, मौका रिपोर्ट प्रदश–8, प्रार्थनापत्र ए से बी बाबूलाल प्रदर्श–9, मौका फर्द– प्रदर्श–10, नक्शा फोटोप्रति पदर्श–11, प्रार्थना पत्र बाबूलाल प्रदर्श–12, सार्वजनिक रास्ते की भूमि खसरा नं0 67 व हमारी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर रास्ते की भूमि को सही किया जावे। व हमारी खातेदारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं करे इस बाबत आदेश जारी किया जाकर हमें राहत प्रदान की जावे।

–: आदेश :–

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं प्रस्तुत बहस पर मनन किया तो पाया कि वादी की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि मौजा पोसालिया पटवार क्षेत्र पोसालिया तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 69 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा किस्म ब.1 एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं0 61 रकबा 19 बीघा 02 बिस्वा स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खातेदारी की भूमि के बीचों बीच खसरा नं0 67 कदीमी सार्वजनिक रास्ता की भूमि है। प्रदर्श–10 (मौका फर्द) के अनुसार खसरा नं0 67 रास्ता की भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा है। एवं यह रास्ता खसरा 69 व 70 में चल रहा है जिससे खसरा नं0 67 रास्ता की भूमि पर अतिचार होना पाया गया। अतः प्रस्तुत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवाादीगण आंशिक स्वीकार जाकर उक्त विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण एक ता आंठ को खसरा नं0 67 पर से बेदखल किये जाने हेतु तहसीलदार शिवगंज को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अतिक्रमण को सीमाज्ञान कर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक सरकारी रास्ते से अतिक्रमी को बेदखल करें। आदेश खुले न्यायालय सुनाया गया।

(भागीरथ राम, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

लिखित मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.3.2022 को जारी किया जाता है।

सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)
शिवगंज

प्रतिलिपि :-
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ प्रेषित है

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.03 11:02:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)